INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

Explore Innovate Educate

Shri Param Hans Education & Research Foundation Trust

www.IRJMSH.com
www.SPHERT.org

Published by iSaRa Solutions

IRJMSH Vol 13 Issue 4 [Year 2022] ISSN 2277 – 9809 (Online) 2348–9359 (Print)

भारत में शिक्षा प्रणाली : एक अध्ययन

डॉ नलिनी मिश्रा[1]

सहायक आचार्य (शिक्षा विभाग)

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0 (भारत)

nalinimisra2014@gmail.com

मुकेश कुमार[2]

शोधार्थी (शिक्षा विभाग)

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0 (भारत)

mkumars450@gmail.com

शोध सार (Abstract)

भारत में शिक्षा की व्यवस्था परीक्षा केन्द्रित न होकर शिक्षा केन्द्रित होनी चाहिए। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार विषय चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। बड़ी मात्रा में पुस्तकों और व्याख्यानों से ज्ञान प्राप्त करने के बजाय, बच्चों को समूहों में बातचीत करने और विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए बनाया जाना चाहिए। शिक्षक और पाठ्यपुस्तकों से नोट्स लेने के बजाय, बच्चों को पुस्तकालय की किताबों और इंटरनेट से खुद ही जानकारी की खोज करनी चाहिए और उन्हें कक्षा में साझा करना चाहिए। इससे उन्हें पढ़ने की अच्छी आदत, आत्मविश्वास और आलोचना के प्रति खुलापन विकसित करने में मदद मिलेगी। यह उन्हें महत्वपूर्ण पठन और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में भी मदद करेगा। बच्चे जो कुछ सीखते हैं उसे याद रखने में सक्षम होंगे जब वे इसे व्यावहारिक रूप से लागू करेंगे। उन्हें संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं, तारामंडलों, उत्खनन स्थलों, वनस्पति उद्यानों आदि के क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहिए, जहां वे विभिन्न क्षेत्रों में जानकार और अनुभवी लोगों के साथ बातचीत करके सीख सकते हैं। इससे उन्हें अपने संचार कौशल में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। जब कि वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली पढ़ाई पर अधिक जोर देती है। यह एक परीक्षा प्रणाली है न कि शिक्षा प्रणाली। ऐसा क्यों है कि हम फिल्मों को याद कर सकते हैं न कि हमारे अध्यायों को? भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुत बदलाव की जरूरत है।

प्रस्तुत लेख में हमारे देश में शिक्षा की बुनियादी शिक्षा प्रणाली पर ध्यान केंद्रित कर उनकी स्थितियों का अवलोकन करने का प्रयास इस आशय से किया गया है कि उनमें सुधार कर एक नयी शिक्षा ऐसी शिक्षा प्रणाली को अंगीकृत किया जा सके जो अधिक प्रभावी एवं विकासपरक हो।

Key Word : नई शिक्षा नीति 2020, NEP, कार्य योजना (Plann of Action) राष्ट्रिय शिक्षा नीति (NPE)

IRJMSH Vol 13 Issue 4 [Year 2022] ISSN 2277 – 9809 (Online) 2348–9359 (Print)

5 वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारत में उच्च शिक्षा का वैश्विक स्तर पर सबसे प्रमुख स्थान था। यह विश्व की सबसे उत्कृत शिक्षा का शिरमौर्य अर्थात् केंद्र था। उस समय के भारतीय दो शैक्षणिक संस्थान तक्षशिला एवं नालंदा तत्कालीन आधुनिकतम सुविधाओं से उक्त विश्वविद्यालय के रूप में जाने जाते थे। किन्तु ब्रिटिश राज की स्थापना के साथ पश्चिमी शिक्षा भारतीय समाज में शामिल हो गई। जिसके बाद से भारतीय शिक्षा की आभा निरन्तर धूमिल होती चली गयी। स्वतंत्रता के बाद सरकारों के द्वारा एक सीमा तक इसमें सुधार किया गया है। जिसके तहत सरकारों ने शिक्षा को अपने अपने स्तर पर प्रबन्धित करने के लिए विभिन्न योजनाओं का सम्पादन किया है। जिस कारण वर्तमान में भारत में शिक्षा केंद्र सरकार और राज्यों दोनों के नियंत्रण में आती है, कुछ जिम्मेदारियां संघ और राज्यों के पास होती हैं और वहीं कुछ दूसरों के लिए स्वायत्तता होती है। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करते हैं। भारत में अधिकांश विश्वविद्यालय संघ या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं।

सरकार के इन्हीं प्रयासों का प्रतिफल है कि भारत ने प्राथमिक शिक्षा उपस्थिति दर में वृद्धि की है और लगभग दो तिहाई आबादी तक साक्षरता का विस्तार करने के मामले में प्रगति की है। भारत की बेहतर शिक्षा प्रणाली को अक्सर भारत के आर्थिक उत्थान में मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। अधिकांश प्रगति, विशेष रूप से उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान में, विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों को श्रेय दिया गया है। भारत में निजी शिक्षा बाजार केवल 5 प्रतिशत है, हालांकि मूल्य के मामले में 2018 में USD 80 बिलियन के निवेश के रूप मे था जो 2022 तक बढ़कर USD 118 से 120 बिलियन हो जाएगा, ऐसा अनुमान था।[1]

हालांकि, भारत को शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा में बढ़ते निवेश के बावजूद, इसकी 16 प्रतिशत आबादी अभी भी निरक्षर है; केवल 23 प्रतिशत भारतीय छात्र हाई स्कूल तक पहुंचते हैं, और केवल 9 प्रतिशत स्नातक तक। प्राथमिक या उच्च शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता प्रमुख विकासशील देशों की तुलना में काफी खराब है। 2018 तक, भारत के उत्तर–माध्यमिक संस्थान भारत की कॉलेज–आयु की आबादी के 9 प्रतिशत के लिए केवल पर्याप्त सीटों की पेशकश करते हैं, देश भर में 25 प्रतिशत शिक्षण पद खाली हैं, और 53 प्रतिशत कॉलेज के प्रोफेसरों के पास या तो मास्टर या पीएचडी की डिग्री नहीं है।

2021 तक, भारत में 1968 डिग्री देने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिनमें 612,000 छात्रों की वार्षिक संख्या है, साथ ही 315,000 के वार्षिक प्रवेश के साथ 1680 पॉलिटेक्निक हैं। हालांकि, इन संस्थानों में फैकल्टी की कमी है और शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता जताई गई है।

---

1. "A special report on India: Creaking, groaning: Infrastructure is India's biggest handicap". The Economist. 11 December 2008.

IRJMSH Vol 13 Issue 4 [Year 2022] ISSN 2277 – 9809 (Online) 2348–9359 (Print)

भारत में शिक्षा प्रणाली शुद्ध योग्यता पर आधारित नहीं है, बल्कि यह जाति आधारित आरक्षण पर आधारित है। संघीय सरकार से संबद्ध विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों में विभिन्न जातियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत आरक्षण लागू है। राज्य स्तर पर यह भिन्न होता है। 2021 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य में 83.33 प्रतिशत आरक्षण हैं, जो भारत में आरक्षण का उच्चतम प्रतिशत है। इसलिए राज्य लोकप्रिय रूप से उस राज्य के रूप में जाना जाता है जिसने योग्यता को मार डाला।

भारत में शिक्षा का इतिहास[2] –

हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था उस समय के विद्वत ब्राह्मण गुरूओं के हाथों में थी। जिन्होंने भीख के माध्यम से शिक्षा दी, न कि छात्रों या उनके अभिभावकों से फीस या धन वसूल कर। यद्पि कालान्तर में, इन ब्राह्मण गुरूओं के मंदिर भी शिक्षा के केंद्र बन गये। इस समय धार्मिक शिक्षा अनिवार्य थी लेकिन धर्मनिरपेक्ष विषय भी पढ़ाए जाते थे। छात्रों को ब्रह्मचार्य या ब्रह्मचारी होना आवश्यक था। इन आदेशों में ज्ञान अक्सर उन कार्यों से संबंधित होता था जिन्हें समाज के एक वर्ग को करना होता था। पुजारी वर्ग, ब्राह्मणों को धर्म, दर्शन और अन्य सहायक शाखाओं का ज्ञान दिया गया, जबकि योद्धा वर्ग, क्षत्रिय को युद्ध के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया। व्यापारी वर्ग, वैश्य, को अपना व्यापार सिखाया जाता था और शूद्रों का मजदूर वर्ग आमतौर पर शैक्षिक लाभों से वंचित रहता था। कानूनों की पुस्तक, मनुस्मृति, और अर्थशास्त्र पर ग्रंथ इस युग के प्रभावशाली कार्यों में से थे जो उस समय की दुनिया के दृष्टिकोण और समझ को दर्शाते हैं।

हिंदू मंदिरों, मठों और बौद्ध मठों के साथ–साथ धर्मनिरपेक्ष संस्थाएं भी इस कालखण्ड में शिक्षा के केन्द्र के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे। जिनमें संस्थानों ने व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में कई शहरी शिक्षा केंद्र तेजी से दिखाई देने लगे। शिक्षा के महत्वपूर्ण शहरी केंद्र तक्षशिला (आधुनिक पाकिस्तान में) और बिहार में नालंदा, विक्रमशिला, पुष्पगिरी, औदंतपुरी, वल्लभी, जगद्दल, सोमपुरा अदि प्रमुख थे। इन संस्थानों ने व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्रदान किया और वैदिक और बौद्ध साहित्य, तर्क, व्याकरण, आदि जैसे विषयों का अध्ययन कराया जाता था जिसमें अध्ययन के लिए कई विदेशी छात्रों भी आकर्षित होते थे और यहा आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इसी काल खण्ड का एक प्रमाण इस्लामी विद्वान अलबरूनी (973–1048 ई.) की यात्रा के समय पर भी देखने को मिलता है जब, भारत के इस शिक्षालयों में पहले से पठाई जा रही गणित की एक परिष्कृत प्रणाली चलन में थी, जिसकी भूरी–भूरी प्रशंसा अलबरूनी ने भी की है।

---

2. "Education in India". World Bank. 3. "Higher Education", National Informatics Centre, Government of India". Education.nic.in. Retrieved.

IRJMSH Vol 13 Issue 4 [Year 2022] ISSN 2277 – 9809 (Online) 2348–9359 (Print)

भारत में ब्रिटिश राज के आगमन के साथ आधुनिक यूरोपीय शिक्षा भारत में आई। ब्रिटिश राज जन शिक्षा प्रणाली शुरू करने के लिए अनिच्छुक था क्योंकि यह उनकी रुचि नहीं थी। औपनिवेशिक शिक्षा नीति जान–बूझकर स्वदेशी संस्कृति और धर्म को कम करने के लिए भारत में लादी गयी, जिसके प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण जिसे मैकालेवाद के नाम से जाना जाने लगा। इसने नाटकीय रूप से पूरी शिक्षा प्रणाली को बदल दिया। पढ़े–लिखे लोग नौकरी पाने में असफल रहे क्योंकि जिस भाषा में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की वह बेमानी हो गई थी। औपनिवेशिक युग के दौरान शिक्षा के लिए कई प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक केंद्रों के रूप में भारत में प्रणाली जल्द ही मजबूत हो गई। 1867 और 1941 के बीच अंग्रेजों ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जनसंख्या का प्रतिशत 1867 में लगभग 0.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 1941 में जनसंख्या का 3.5 प्रतिशत से अधिक कर दिया। हालाँकि, यह यूरोप के समकक्ष आंकड़ों की तुलना में बहुत कम था, जहा 1911 में 8 से 18 प्रतिशत आबादी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में थी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने साक्षरता में सुधार के प्रयास किए। 1901 में, भारत में साक्षरता दर लगभग 5.4 प्रतिशत थी; भारत की स्वतंत्रता तक यह लगभग 16.5 प्रतिशत थी।[3]

1947 में स्वतंत्रता के बाद जनता को शिक्षा को बढ़ावा देने का श्रेय मुख्य रूप से प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने एक समान शिक्षा प्रणाली के साथ पूरे देश में शिक्षा पर केंद्र सरकार के मजबूत नियंत्रण की परिकल्पना की थी। हालाँकि, भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को देखते हुए, केवल उच्च शिक्षा, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित थी, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आई। सरकार के पास शैक्षिक विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियां बनाने की शक्तियां भी थीं और वह पूरे भारत में शिक्षा के चयनित पहलुओं को विनियमित कर सकती थी।

भारत की केंद्र सरकार ने 1968 और 1986 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (NPE) तैयार की और 1992 में कार्य योजना (POA) को भी सुदृढ़ किया। 2008 में सरकार ने DPEP (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम) को शुरू करने के लिए कई उपाय किए और सर्व शिक्षा अभियान (सर्व शिक्षा अभियान, भारत में सभी के लिए शिक्षा की पहल) और हर जिले में नवोदय विद्यालय और अन्य चुनिंदा स्कूलों की स्थापना, महिला शिक्षा में प्रगति, अंतर–अनुशासनात्मक अनुसंधान और मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के रूप में कार्यात्तम सुधार किये। भारत के NPE में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली भी शामिल है, जो क्षेत्रीय शिक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ एकरूपता सुनिश्चित करती थी। NPE सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत से अधिक के बजट की परिकल्पना करते हुए, शिक्षा पर उच्च खर्च पर भी जोर दी गयी थी। जबकि प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों में व्यापक सुधार की आवश्यकता को एक मुद्दे के रूप में पहचान प्राप्त करने के लिए लक्षित

3. "Present education in India". Studyguideindia.com. Retrieved 2012-08-16.

थी। इस योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया गया था।

NPE का अवलोकन :

NPE में भारत की शिक्षा प्रणाली को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया था; जैसे पूर्व–प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम संबंधी मामलों के लिए शीर्ष निकाय है। NCERT भारत में कई स्कूलों को सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करता है और शिक्षा नीतियों के प्रवर्तन के कई पहलुओं की देखरेख करता है। भारत में, स्कूली शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने वाले विभिन्न पाठ्यक्रम निकाय हैं :

- ☞ राज्य सरकार के बोर्ड, जिनमें अधिकांश भारतीय बच्चे नामांकित हैं।
- ☞ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)। सीबीएसई दो परीक्षाएं आयोजित करता है, अर्थात् अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, एआईएसएसई (कक्षा / ग्रेड 10) और अखिल भारतीय वरिष्ठ स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा, एआईएसएससीई (कक्षा / ग्रेड 12)।
- ☞ भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (सीआईएससीई)। सीआईएससीई तीन परीक्षाएं आयोजित करता है, अर्थात् भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (आईसीएसई – कक्षा / ग्रेड 10); इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (ISC – क्लास / ग्रेड 12) और सर्टिफिकेट इन वोकेशनल एजुकेशन (CVE – क्लास / ग्रेड 12)।
- ☞ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)।
- ☞ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम और/या कैम्ब्रिज अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाओं से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्कूल।
- ☞ इस्लामिक मदरसा स्कूल, जिनके बोर्ड स्थानीय राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होते हैं, या स्वायत्त, या दारुल उलूम देवबंद से संबद्ध होते हैं।
- ☞ वुडस्टॉक स्कूल, द श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन पुडुचेरी, ऑरोविले, पाठ भवन और आनंद मार्ग गुरुकुल जैसे स्वायत्त स्कूल।

इसके अलावा, NUEPA (नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन) और NCTE (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन) शिक्षा प्रणाली के प्रबंधन और शिक्षक मान्यता के लिए जिम्मेदार हैं।

10+2+3 पैटर्न

केंद्रीय और अधिकांश राज्य बोर्ड समान रूप से शिक्षा के '10+2+3' पैटर्न का पालन करते हैं। इस पैटर्न में, 10 साल की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बाद 2 साल की उच्च माध्यमिक (आमतौर पर उच्च माध्यमिक सुविधा वाले स्कूलों में, या कॉलेजों में) और फिर स्नातक की डिग्री के लिए 3 साल की कॉलेज शिक्षा होती है। 10 साल को आगे 5 साल की

प्राथमिक शिक्षा और 3 साल की उच्च प्राथमिक शिक्षा के बाद 2 साल हाई स्कूल में बांटा गया है। यह पैटर्न 1964–66 के शिक्षा आयोग की सिफारिश से उत्पन्न हुआ है।

भारत में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली

भारत सरकार चौदह वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा पर जोर देती है (भारत में प्रारंभिक शिक्षा के रूप में संदर्भित)। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए बाल श्रम पर भी प्रतिबंध लगा दिया है कि बच्चे असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों में प्रवेश न करें। हालांकि, आर्थिक विषमता और सामाजिक परिस्थितियों के कारण मुफ्त शिक्षा और बाल श्रम पर प्रतिबंध दोनों को लागू करना मुश्किल है। प्रारंभिक स्तर पर सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में से 80 प्रतिशत सरकारी या समर्थित हैं, जो इसे देश में शिक्षा का सबसे बड़ा प्रदाता बनाते हैं।

हालांकि, संसाधनों की कमी और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण, यह प्रणाली उच्च छात्र से शिक्षक अनुपात, बुनियादी ढांचे की कमी और शिक्षक प्रशिक्षण के खराब स्तर सहित बड़े अंतराल से ग्रस्त है। 2011 में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि भारत में 5,816,673 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे। मार्च 2012 तक भारत में 2,127,000 माध्यमिक विद्यालय शिक्षक थे। बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 साल या आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए भी शिक्षा मुफ्त कर दी गई है।

सरकार द्वारा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। जिला शिक्षा पुनरोद्धार कार्यक्रम (डीईआरपी) 1994 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य मौजूदा प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार और उसे जीवंत बनाकर भारत में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना था। डीईआरपी का 85 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था और शेष 15 प्रतिशत राज्यों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। डीईआरपी, जिसने लगभग 3.5 मिलियन बच्चों को वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने वाले 84000 वैकल्पिक शिक्षा स्कूलों सहित 160000 नए स्कूल खोले थे, को भी यूनिसेफ और अन्य अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों द्वारा समर्थित किया गया था।

इस प्राथमिक शिक्षा योजना ने कुछ राज्यों में पिछले तीन वर्षों में 93–95 प्रतिशत का उच्च सकल नामांकन अनुपात भी दिखाया है। इस योजना के तहत स्टाफिंग और लड़कियों के नामांकन में भी उल्लेखनीय सुधार किया गया है। सभी के लिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण की वर्तमान योजना सर्व शिक्षा अभियान है जो दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा पहलों में से एक है। नामांकन बढ़ाया गया है, लेकिन गुणवत्ता का स्तर कम बना हुआ है।

निजी शिक्षा

वर्तमान अनुमानों के अनुसार, सभी स्कूलों में से 80 प्रतिशत सरकारी स्कूल हैं जो सरकार को शिक्षा का प्रमुख प्रदाता बनाते हैं। हालांकि, सार्वजनिक शिक्षा की खराब गुणवत्ता के कारण, 27 प्रतिशत भारतीय बच्चे निजी तौर पर शिक्षित हैं। शहरी क्षेत्रों के निजी स्कूलों में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चों के नामांकन के साथ, शेष राशि का झुकाव पहले ही शहरों में निजी स्कूली

IRJMSH Vol 13 Issue 4 [Year 2022] ISSN 2277 – 9809 (Online) 2348–9359 (Print)

शिक्षा की ओर हो गया है; ग्रामीण क्षेत्रों में भी, 2004–5 में लगभग 20 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में नामांकित थे। कुछ शोधों के अनुसार, निजी स्कूल अक्सर सरकारी स्कूलों की इकाई लागत के गुणक पर बेहतर परिणाम प्रदान करते हैं। हालांकि, अन्य लोगों ने सुझाव दिया है कि निजी स्कूल सबसे गरीब परिवारों को शिक्षा प्रदान करने में विफल रहते हैं, चुनिंदा स्कूलों का केवल पांचवां हिस्सा है और अतीत में उनके विनियमन के लिए अदालत के आदेशों की अनदेखी की है।

उनके पक्ष में, यह बताया गया है कि निजी स्कूल पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हैं और विज्ञान मेले, सामान्य ज्ञान, खेल, संगीत और नाटक जैसी पाठ्येतर गतिविधियों की पेशकश करते हैं। निजी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात काफी बेहतर है (सरकारी स्कूलों के लिए 1:31 से 1:37 और निजी स्कूलों में अधिक शिक्षक महिलाएं हैं।

इस बात पर कुछ असहमति है कि किस प्रणाली में बेहतर शिक्षित शिक्षक हैं। नवीनतम डीआईएसई सर्वेक्षण के अनुसार, अप्रशिक्षित शिक्षकों (पैरामीटर) का प्रतिशत निजी में 54.91 प्रतिशत है, जबकि सरकारी स्कूलों में यह 44.88 प्रतिशत है और गैर–सहायता प्राप्त स्कूलों में केवल 2.32 प्रतिशत शिक्षक ही सरकारी स्कूलों के लिए 43.44 प्रतिशत की तुलना में सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। स्कूल बाजार में प्रतिस्पर्धा तीव्र है, फिर भी अधिकांश स्कूल लाभ कमाते हैं। हालांकि, भारत में निजी स्कूलों की संख्या अभी भी कम है – निजी संस्थानों की हिस्सेदारी 7 प्रतिशत है (उच्च प्राथमिक 21 प्रतिशत और माध्यमिक 32 प्रतिशत[4])।

यहां तक कि सबसे गरीब भी अक्सर निजी स्कूलों में जाते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि सरकारी स्कूल मुफ्त हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि लखनऊ की मलिन बस्तियों में 63 प्रतिशत स्कूली बच्चे निजी स्कूलों में जाते हैं।

होमस्कूलिंग

होमस्कूलिंग भारत में कानूनी है, हालांकि इस माध्यम में बहुत कम बच्चे पाये जाते है। इस मुद्दे पर भारत सरकार का रुख यह है कि माता–पिता अपने बच्चों को घर पर पढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि वे चाहें और उनके पास साधन हों। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि 2009 के आरटीई अधिनियम के बावजूद, अगर कोई अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का फैसला करता है, तो सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी।

माध्यमिक शिक्षा

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई), 1986 ने पर्यावरण जागरूकता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा, और भारतीय माध्यमिक विद्यालय प्रणाली में योग जैसे पारंपरिक तत्वों की शुरूआत के लिए प्रदान किया है। माध्यमिक शिक्षा 14–18 बच्चों को कवर करती है, जिसमें 2001 की जनगणना के अनुसार 88.5 मिलियन बच्चे शामिल हैं। हालांकि, नामांकन के आंकड़े बताते हैं

4 किले टीम अनुसंधान

IRJMSH Vol 13 Issue 4 [Year 2022] ISSN 2277 – 9809 (Online) 2348–9359 (Print)

कि 2001–02 में इनमें से केवल 31 मिलियन बच्चे ही स्कूलों में जा रहे थे, जिसका अर्थ है कि दो–तिहाई आबादी स्कूल से बाहर रह गई।

भारत की माध्यमिक विद्यालय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता समाज के वंचित वर्गों को शामिल करने पर जोर देना है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में सहायता के लिए स्थापित संस्थानों के पेशेवरों को अक्सर बुलाया जाता है। भारत की माध्यमिक विद्यालय प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह है कि छात्रों को अपने चयन का व्यवसाय खोजने के लिए कौशल प्राप्त करने में मदद करने के लिए व्यवसाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है। माध्यमिक शिक्षा अभियान के रूप में माध्यमिक शिक्षा के लिए एसएसए का विस्तार एक महत्वपूर्ण नई विशेषता रही है।

विकलांग बच्चों के लिए एक विशेष एकीकृत शिक्षा (IEDC) कार्यक्रम 1974 में प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देने के साथ शुरू किया गया था। लेकिन जिसे माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा में परिवर्तित कर दिया गया था, एक और उल्लेखनीय विशेष कार्यक्रम, केन्द्रीय विद्यालय परियोजना, भारत की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी, जो पूरे देश में वितरित की जाती हैं। सरकार ने 1965 में केंद्रीय विद्यालय परियोजना शुरू की थी, ताकि संस्थानों में समान पाठ्यक्रम के अनुसार समान गति से समान शिक्षा प्रदान की जा सके, भले ही कर्मचारी के परिवार को स्थानांतरित किया गया हो।

प्राथमिक शिक्षा पर एक बहुभाषी वेब पोर्टल बच्चों और मंचों के लिए शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समृद्ध मल्टीमीडिया सामग्री के साथ उपलब्ध है। इंडिया डेवलपमेंट गेटवे एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो स्थानीय भाषाओं में उत्तरदायी जानकारी, उत्पादों और सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण सशक्तिकरण की सुविधा प्रदान करती है।

नई शिक्षा नीति 2020 (New Education Policy 2020)

इसरों के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में शिक्षा नीति को लेकर नई समिति का गठन किया गया था और मई 2019 में कस्तूरीरंगन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया रूप सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। 21वीं सदी के 20 वे साल में भारत में नई शिक्षा नीति आई है। भारत में सर्वप्रथम 1968 में नई शिक्षा नीति बनाई गई थी उसके बाद 1986 में बनाई गई जिसके बाद नई शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया। लगभग 34 साल बाद 2021 में पुनः नई शिक्षा नीति को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं। जिसमे शिक्षा सम्बन्धित बहुत से नियमों में बदलाव किया गया है। वही हाल ही में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय ने शिक्षा नीति में बदलाव के साथ साथ अपने मंत्रालय का नाम भी बदल दिया है, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। National Education Policy तहत शिक्षकों के लिए व्यवसायिक विकास को जरुरी कर दिया गया है और शिक्षकों के लिए सर्विस ट्रेनिंग का आयोजन भी किया जाएगा जिसमे शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जायेगी। नई राष्ट्रीय एजुकेशन नीति

IRJMSH Vol 13 Issue 4 [Year 2022] ISSN 2277 – 9809 (Online) 2348–9359 (Print)

का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा भारत में शिक्षा का सार्वभौमीकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च करना है।

नई शिक्षा नीति 2020 का परिचय :

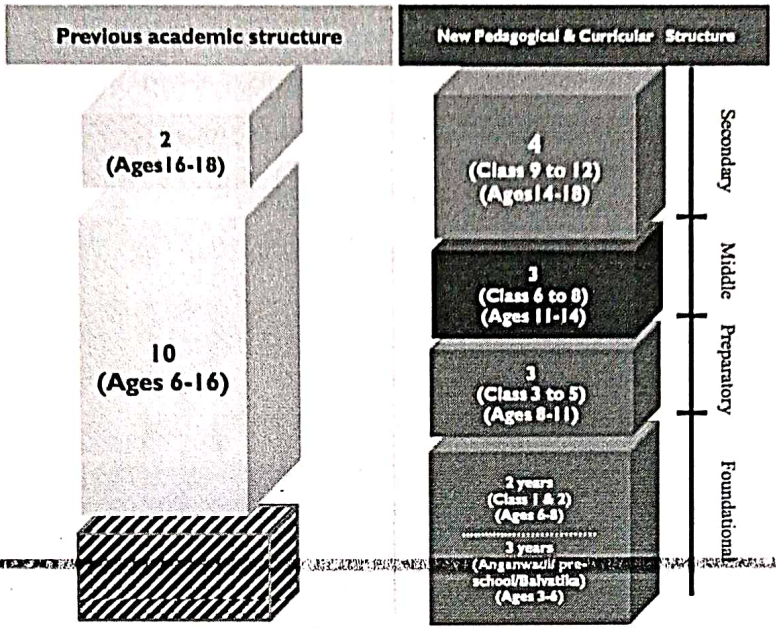

नई शिक्षा नीति 2021 के तहत 2030 तक शैक्षिक प्रणाली को निश्चित किया गया है और वर्तमान में चल रही 10 + 2 के मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम में 5 + 3 + 3 + 4 की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। नई शिक्षा नीति 2021 के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार के निवेश का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र सहयोग के लिए देश की 6 प्रतिशत जीडीपी के बराबर शिक्षा क्षेत्र में निवेश करेगी।

नई शिक्षा नीति के उद्देश्यः

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शैक्षिक क्षेत्र में भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना है और भारत के लिए नई शैक्षिक नीतियों के माध्यम से संपूर्ण भारत में शिक्षा का उचित स्तर प्रदान करना है जिससे शैक्षिक क्षेत्र की गुणवत्ता उच्च हो सके। भारत में बच्चों को तकनीकी तथा रचनात्मकता के साथ–साथ शिक्षा की गुणवत्ता का महत्व से अवगत कराना नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। शिक्षा में गुणवक्ता लाने के लिए यह केंद्र सरकार के तहत नई शिक्षा नीति को शुरू किया गया है।

National Education Policy 2021 की विशेषताएं :

- ☞ नई शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत के तीसरी शिक्षा नीति है जिसमें बुनियादी तौर पर बदलाव किए गए हैं।
- ☞ नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षिक क्षेत्र को तकनीकी से भी जोड़ा जाएगा जिसमें सभी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल एक्यूप्मेंट दिए जाएंगे।

IRJMSH Vol 13 Issue 4 [Year 2022] ISSN 2277 – 9809 (Online) 2348–9359 (Print)

- ☞ नई शिक्षा नीति में सभी प्रकार की शैक्षिक विषय वस्तु को प्रमुखता उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में भी ट्रांसलेट किया जाएगा जिससे शैक्षिक क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा मिल सके ।
- ☞ छठवीं कक्षा से बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण इंटर्नशिप दे दी जाएगी।
- ☞ नई शिक्षा नीति के भीतर अब पढ़ाई में कई प्रकार के अन्य विकल्प बच्चों को दिए जाएंगे। अब दसवीं कक्षा में अन्य विकल्पों को भी रखा जाएगा जिसमें छात्र कोई स्ट्रीम ना चुनकर अपनी इच्छा अनुसार विषयों को चुन सकेगा।
- ☞ नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को छठवीं कक्षा से ही कोडिंग सिखाई जाएगी।
- ☞ शैक्षिक क्षेत्र में वर्चुअल लैब को भी बनाया जाएगा जिससे शैक्षिक क्षेत्रों की गुणवत्ता को उच्च किया जा सके।
- ☞ नई शिक्षा नीति के तहत वर्षों से चली आ रही 10 + 2 के शैक्षिक पैटर्न को बदलकर 5+3+3+4 के नए शैक्षिक पैटर्न को चुना गया है जिसमें 3 साल की फ्री स्कूली शिक्षा बच्चों को दी जाएगी।
- ☞ नई शिक्षा नीति के भीतर शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा जिसमें कुछ शैक्षिक क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है जैसे मेडिकल तथा लॉ।

नई शिक्षा नीति के समीकरण को निम्नलिखित ग्राफ के द्वारा समझा जा सकता है

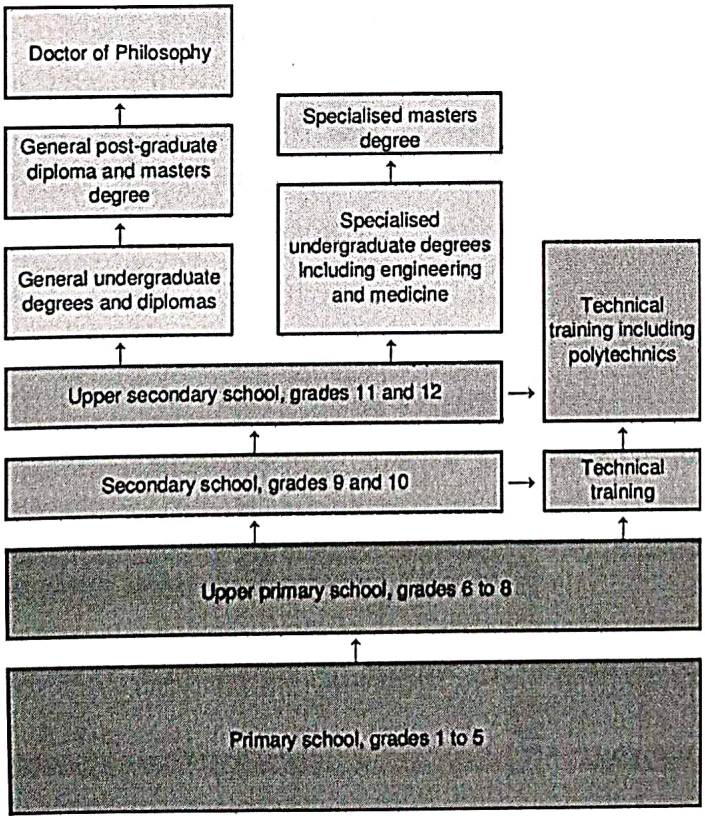

IRJMSH Vol 13 Issue 4 [Year 2022] ISSN 2277 – 9809 (0nline) 2348–9359 (Print)

नई शिक्षा नीति 2021 के मुख्य तथ्य

- नई शिक्षा नीति के माध्यम से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा जिसमें छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए क्रेडिट को डिजिटल अकैडमी क्रेडिट बनाया जाएगा और विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से इन क्रेडिट को संग्रहित कर छात्र के अंतिम वर्ष की डिग्री में स्थानांतरित करके सभी क्रेडिट को एक साथ जोड़ा जाएगा।
- नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020 के अंतर्गत शैक्षिक पाठ्यक्रम को लचीला बनाए जाने की हर संभव कोशिश की जा रही है । यदि कोई छात्र किसी शैक्षिक कोर्स में रुझान ना रखने के कारण उस शैक्षिक कोर्स के बीच में दूसरा कोर्स पढ़ना चाहता है तो वह अपने पहले कोर्स से निश्चित समय अवधि तक रुक कर दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है।
- नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाना नई शिक्षा नीति के भीतर सम्मिलित है।
- नई शिक्षा नीति के भीतर 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहु–विषयक शैक्षिक पाठ्यक्रम संस्थान बनाने का उद्देश्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति के भीतर स्नातक कोर्स को 3 से 4 साल तक पढ़ा जा सकता है जिसमें छात्रों को बहु विकल्प प्रदान किए जाएंगे। इन सभी बहु विकल्पों के उचित प्रमाण पत्र के अनुसार छात्रों को डिग्री दी जाएगी। उदाहरण यदि कोई छात्र 1 साल के लिए स्नातक कोर्स की पढ़ाई करता है तो उसे केवल एक साल की पढ़ाई का ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 2 साल बाद उसे एडवांस डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 3 साल बाद उचित प्रमाणों के आधार पर उसे डिग्री दी जाएगी अंत में 4 साल के बाद छात्र को बैचलर डिग्री के साथ–साथ रिसर्च की डिग्री भी दी जाएगी।
- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सभी उच्च शिक्षा संस्थानों मैं छात्रों के प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा को आयोजित करेगी जिससे शिक्षा का स्तर बनाया जा सके।
- नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों को एक समान माना जाएगा।
- नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को 4 वर्टिकल दिए गए हैं । जिसमें नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल , हायर एजुकेशनल काउंसिल , जर्नल एजुकेशन काउंसिल तथा नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल को रखा गया है।
- ई लर्निंग पर जोर देना ताकि किताबों पर निर्भरता कम हो सके।
- नई शिक्षा नीति के माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है।

निष्कर्ष

भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली में नई शिक्षा नीति के सुधार के साथ इसका लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हमारे छात्र अभी जो सीख रहे थें वह ज्यादातर अव्यवहारिक था। नई शिक्षा नीति में सिद्धांत के बड़े हिस्से को उलझाने के बजाय पाठ्यक्रम को कौशल आधारित करने का प्रयास किया गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य जो सम्भावित है, निम्नवत् है।

- ☞ नई शिक्षा नीति के माध्यम से शैक्षिक क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- ☞ नई शिक्षा नीति के माध्यम से शैक्षिक पाठ्यक्रम में भाषाओं को लेकर कई विकल्प रखे गए हैं। यदि शैक्षिक पाठ्यक्रम में कोई छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा को पढ़ना चाहता है तो वह आसानी से उन्हें पड़ सकता है। वही इस शैक्षिक पाठ्यक्रम में भारतीय प्राचीन भाषाओं को पढ़ने का भी विकल्प छात्रों के समक्ष रखा गया है।
- ☞ नई शिक्षा नीति में 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा तीन तक के सभी छात्रों के लिए संख्यात्मक ज्ञान तथा साक्षरता को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की योजना तैयार की जाएगी।
- ☞ स्वास्थ्य नीति के तहत छात्रों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा जिसके साथ छात्रों के लिए स्वास्थ्य कार्ड भी बनाये जाएंगे।
- ☞ नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षकों को समय–समय पर उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति को भी रखा गया है।
- ☞ नई शिक्षा नीति में 2030 तक अध्यापन के लिए इ.मक की डिग्री को 4 वर्ष की न्यूनतम डिग्री योग्यता में सम्मिलित कर दिया गया है । यानी 2030 तक इ.मक का कोर्स 4 साल का हो चुका है।
- ☞ नई शिक्षा नीति के भीतर हायर एजुकेशन से संबंधित एमफिल की डिग्री को भी खत्म किया जा रहा है।
- ☞ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए व्यवसायिक मानक को विकसित करेगी तथा एनसीईआरटी के परामर्श पर अध्यापकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक पाठ्यक्रम की चर्चा की विषय वस्तु को भी तैयार किया जाएगा।
- ☞ छात्रों को जिस क्षेत्र में अधिक रूचि है जैसे – खेल, कला, बॉक्सिंग, आदि में छात्रों को बढ़ावा दिया जाएगा।

IRJMSH Vol 13 Issue 4 [Year 2022] ISSN 2277 – 9809 (Online) 2348–9359 (Print)

- नई शिक्षा नीति में शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ–साथ उनके कौशल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा वही मेन सिलेबस में भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को शामिल किया जा रहा है।
- छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए हर संभव कोशिश नई शिक्षा नीति में की गई है । जिसमें पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शैक्षिक पाठ्यक्रम में किया जाएगा।
- छात्रों पर बोर्ड परीक्षाओं का बोझ कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं की रूपरेखा को भी बदला जाएगा जिसमें 1 साल में दो बार छात्रों की परीक्षाएं की जाएंगी।
- छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी पाठ्यक्रम/ कोर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- महाविद्यालयों की स्वायत्ता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी तथा क्रमिक सहायता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना भी की जाएगी।
- देश के बड़े संस्थान जैसे आईआईटी और आईआईएम के लिए वैश्विक स्तर पर मानकों हेतु बहु विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कराई जाएगी।
- वहीं कानूनी तथा चिकित्सा क्षेत्र को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा।
- शैक्षिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने तथा उसे तकनीकी माध्यम से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी जिससेशिक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान प्रदान संभव हो सके।

: References :

1. www.nvshq.org
2. "A special report on India: Creaking, groaning: Infrastructure is India's biggest handicap". The Economist. 11 December 2008.
3. "Education in India". World Bank. 3. "Higher Education", National Informatics Centre, Government of India". Education.nic.in. Retrieved.
4. "India Country Summary of Higher Education". World Bank.
5. "Literacy Scenario in India (1951–1991)". Retrieved 29 December 2009.
6. "National Policy on Education (with modifications undertaken in 1992)" (PDF). National Council of Educational Research and Training. Retrieved 10 December 2012.
7. "National University of Educational Planning and Administration". Nuepa.org. Retrieved 2012-08-16.

8. "NCTE : National Council For Teacher Education". Ncte-india.org. Retrieved 2012-08-16.
9. "Present education in India". Studyguideindia.com. Retrieved 2012-08-16.
10. "Private Education in India can Benefit Poor People".
11. "Really Old School," Garten, Jeffrey E. New York Times, 9 December 2006.
12. "RTE: Homeschooling too is fine, says Sibal". Times of India. 2010.
13. "Science and Technology Education". Press Information Bureau. Retrieved 2009-08-08.
14. Amit Varma (2007-01-15). "Why India Needs School Vouchers". Wall Street Journal.
15. B. Nivedita, "The Destruction of the Indian System of Education," Adapted from a speech given to the Vivekananda Study Circle, IIT-Madras, January 1998.